एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्रशासन विभाग
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक 20 /स्था/प्रशा/पविनि/14 भोपाल, दिनांक 01/01/14

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक
समस्त रेसीडेंट कार्यालय
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
.....

विषयः– आवास नीति वर्ष 2014

---X---

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की आवास नीति – 2014 जो दिनांक 01/01/2014 से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगी, जो संलग्न कर प्रेषित है। इस नीति को अपने अधीनस्थ समस्त निगम कर्मियों को सूचित कर नीति की एक–एक प्रति अधीनस्त इकाइयों में भेजे। आवास नीति 2014 के अनुसार आवास आवंटन किया जावे।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

क्रमांक 21 /स्था/प्रशा/पविनि/14 भोपाल, दिनांक 01/01/14

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रबंध संचालक के निज सहायक निगम मुख्यालय भोपाल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, निगम मुख्यालय भोपाल।
3. महाप्रबंधक (वित्त) निगम मुख्यालय भोपाल।
4. अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल।
5. आदेश नस्ती।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

varma ji243

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
आवास नीति – 2014

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवास नीति 2011 में संशोधन कर आवास नीति 2014 लागू की जाती है। जिसकी निम्नानुसार नियम व शर्ते निर्धारित की जाती है आवास नीति 01 जनवरी 2014 से प्रभावशील होगी।

आवास आवंटन के नियम एवं शर्ते :–

1.1 प्रक्षेत्र में उपलब्ध निगम के आवासों का आवंटन संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा श्रेणीवार उपलब्ध आवास के अंतर्गत किया जावे।

1.2 प्रक्षेत्र में उपलब्ध निगम के आवासों का रख–रखाव, क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण में रहेगा तथा उन पर किये जाने वाले कार्यो हेतु एक बजट निर्धारित किया जावे।

1.3 आवास आवंटन के लिये मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में रजिस्टर संधारण अनिवार्य होगा, जिसमें निगम कर्मियों के नाम, पद, नियुक्ति दिनांक एवं निगम कर्मी किस इकाई से कब स्थानांतरित होकर आया है तथा आवास के प्रकार का उल्लेख किया जावेगा। यदि निजी आवासगृह किराये पर लिया जाता है तो किराया राशि तथा गृहस्वामी का नाम एवं पता का उल्लेख किया जावें।

1.4 निगमकर्मी द्वारा आवास रिक्त करने की दशा में रजिस्टर में आवास रिक्त करने की दिनांक तथा कारण अंकित किया जावे एवं मुख्यालय को अवगत कराया जावे, तद्नुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से कटौती की जाने वाली राशियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे।

1.5 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवास आंवटन की प्रति अनिवार्य रूप से मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी, जिसकी प्रति वित्त शाखा को अनिवार्य रूप से दी जावेगी। इसी प्रकार आवास रिक्त होने पर भी सूचना दी जावेगी।

1.6 आवंटित आवास के विद्युत एवं जल देयकों का भुगतान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जावेगा।

1.7 आवंटित आवास के विरूद्ध संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार लायसेंस फीस काटी जावेगी। जिसका संधारण संबंधित रजिस्टर में किया जावेगा।

1.8 आवंटित आवास किसी भी स्थिति में आवंटित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी अन्य को बिना अनुमति के नहीं सौंपा जायेगा और न ही किसी अन्य को सबलेट किया जावेगा।

1.9 शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक, इकाई प्रबंधक को आवास तत्काल आवंटित किया जावेगा।

1.10 क्षेत्रीय प्रबंधक, इकाई प्रबंधक को निगम के उस कार्य स्थान पर उपलब्ध निगम आवास में रहना अनिवार्य होगा।

2. आवास आवंटन की पात्रता एवं दरें

वर्तमान मूल वेतन के ग्रेड वेतन अनुसार	प्रस्तावित कार्पेट एरिया (अधिकतम)	पात्रता (निर्धारित किराया)		
		नान राज भोगी नगर रू. 6/– प्रति वर्गफिट	राज भोगी नगर रू. 9/– प्रति वर्गफिट	राज्य के बाहर महानगर रू. 12/– प्रति वर्गफिट
1. मूल वेतन + ग्रेडपे 1300–2400	500 वर्गफिट तक	3000	4500	6000
2. मूल वेतन + ग्रेडपे 2800–4800	800 वर्गफिट तक	4800	7200	9600
3. मूल वेतन + ग्रेडपे 5400–6600	1000 वर्गफिट तक	6000	9000	12000
4. मूल वेतन + ग्रेडपे 7600 एवं उससे अधिक	1250 वर्गफिट तक	7500	11250	15000

नोट :–

- बाजार से किराये पर लिये जाने वाले आवासों पर कॉर्पेट एरिया की बाध्यता को समाप्त किया जाता है। उक्त आवासों की पात्रता, निर्धारित किराया संधोधन बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार देय होगा।
- वर्तमान में आवंटित किराये का मकान रिक्त करने के पश्चात् दूसरा आवास किराये पर लेने हेतु पात्रता न्यूनतम हो जाती है एवं दोबारा इसी दर पर आवास मिलना लगभग असंभव हो जाता है। अतः इसमें संशोधन करते हुए वर्तमान किराये का मकान रिक्त करने एवं दूसरा आवास किराये पर लेने हेतु पूर्व में आवंटित आवासगृह पर निर्धारित अंतिम प्राप्त किराया भुगतान किया जावेगा न कि उस वर्ग की न्यूनतम पात्रता का किराया ।
- निगम द्वारा निर्मित आवासों का रख–रखाव निगम द्वारा स्वंय किया जाता है। अतएव निगम का आवास आवंटन होने पर लायसेंस फीस पूर्वानुसार कर्मचारी के वेतन से काटी जावेगी।
- निगम द्वारा आवंटित मकानों की लायसेंस फीस पूर्ववत देय किराये की 10 प्रतिशत काटी जावेगी।
- पूर्वानुसार निगम द्वारा आवंटित आवास हेतु 03 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

3 आवास आवंटन के अधिकार।

3.1 मुख्यालय तथा मार्केटिंग कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को आवास आवंटन किये जाने के अधिकार कार्यपालिक निदेशक को होगें।

3.2 प्रक्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को आवास आवास आवंटन के अधिकार डी.ओ.पी. में प्रदत्त अधिकारों क्षेत्रीय प्रबंधकों को होंगे।

4 स्थानांतरण होने की दशा में।

4.1 स्थानांतरण की स्थिति में भी स्थातांतरित कर्मचारी को उसकी स्वेच्छानुसार कही भी किसी भी एक जगह ही निगम की ओर से आवास धारण की पात्रता होगी (विशेष रियायत में आने वाली इकाईयों को छोड़कर अन्य कार्योलयों/इकाईयों में पदस्थ होने पर भी)

5 विशेष रियायत

5.1 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की अधोलिखित इकाईयों द्वारा पर्यटन निगम के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कई नई इकाईयों का चालन प्रारंभ किया गया है, विशेष रियायते वाली इकाईयां निम्नानुसार है :–

1	अमरकंटक	2	बांधवगढ़	3	भेड़ाघाट	4	चन्देरी
5	खजुराहों	6	खलघाट	7	महेश्वर	8	माण्डू
9	ओरछा	10	पेंच	11	पचमढ़ी	12	पिपरिया
13	रूखड़	14	डोडी	15	कान्हा	16	ब्यावरा
17	बरगी	18	नौगांव	19	सांची	20	भीम बैठका
21	देलावाड़ी	22	हलाली	23	तवा	24	ओंकारेश्वर
25	तिघरा	26	देवरी	27	मंडला (पन्ना)	28	चोरल
29	डुमना	30	कटनी	31	मैहर	32	तामिया
33	मंदसौर						

5.2 उपरोक्त स्थानों में पदस्थ निगमकर्मी उक्त स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर आवास सुविधा चाहते हैं तो उनके आवेदन पर पात्रतानुसार आवास सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। किन्तु कार्यस्थल पर संबंधित द्वारा उपयोग किये जाने वाले आवासगृह का किराया निम्न दर से वसूला जावेगा।

क्रं.	आवास टाईप	नियम 45–ए. के अधीन मासिक किराया
1	बी टाईप	₹1150/–
2	सी टाईप	₹1100/–
3	डी टाईप	₹850/–
4	ई टाईप	₹700/–
5	एफ टाईप	₹425/–
6	जी टाईप	₹300/–
7	एच टाईप	₹150/–
8	आई टाईप	₹50/–

5.3 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित निगमकर्मी किसी भी प्रकार से किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित आवासगृह में संयुक्त रूप से निवास नहीं करेगा। यदि यह पाया गया कि आवंटित आवासगृह पर, जिस अधिकारी/कर्मचारी को आंवटित है, उसमें अन्य अधिकारी/कर्मचारी को संयुक्त रूप से रखता है तो जिस अधिकारी /कर्मचारी के नाम से उक्त आवास आवंटित है उससे भी बाजार दर से किराया वसूल किया जावेगा एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ भविष्य में सदैव के लिये आवास सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।

5.4 निगमकर्मी द्वारा अपनी स्वेच्छा अनुसार एक जगह पर प्रायवेट आवासगृह आंवटित कराया गया है और वह कर्मचारी विशेष रियायत दी जाने वाली इकाईयों में पदस्थ है एवं वहां उस पद के लिए आरक्षित आवासगृह उपलब्ध हैं तो उन्हें उस आवासगृह में रहना अनिवार्य होगा तथा उक्त आवास के किराया की कटौती, बिन्दु क्रमांक 5.2 की तालिका अनुसार की जावेगी।

5.5 निगम की जिन इकाईयों में आवास उपलब्ध नहीं है वहां पर प्रबंधक अथवा कर्मचारी इकाई में ही किसी कक्ष या स्थान का आवास हेतु उपयोग करते हैं तो उनसे भी उपरोक्तानुसार किराया वसूल किया जावेगा।

6 सेवानिवृत्त होने की दशा में

6.1 निगमकर्मी के सेवानिवृत्त होने के उपरांत अधिकतम 03 माह तक आवंटित आवास में निवास कर सकता है। इस सुविधा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित लायसेंस शुल्क वसूल किया जावेगा।

6.2 निर्धारित 03 माह की अवधि में आवास रिक्त नहीं करता है तो बाजार दर से किराया वसूल किया जावेगा, किन्तु यह अवधि 01 वर्ष तक सीमित रहेगी।

7 निगमकर्मी के निधन की दशा में

7.1 निगमकर्मी का निगम सेवा में रहते हुए निधन हो जाता है तो निगमकर्मी के आश्रित परिवार को आवंटित आवास में एक वर्ष तक निवास करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस एक वर्ष की अवधि में लायसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा। यदि मृत कर्मचारी के आश्रित/परिवार के किसी भी सदस्य को निगम द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है तो जिस श्रेणी में वह कार्य करेगा उसी श्रेणी का आवास उपलब्ध कराया जावेगा, और उससे नियमानुसार लायसेंस फीस वसूल की जावेगी।

8 स्वंय के आवास में निवास करने की दशा में।

8.1 निगमकर्मी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्था में ऋण लेकर स्वंय का आंवास/फ्लेट क्रय करता है एवं उसमें स्वंय रहता है ऐसी दशा में पात्रतानुसार देय किराये का 75 प्रतिशत आवास किराया स्वीकृत कर आवास आवंटित किया जावेगा एवं स्वीकृत किराये का 10 प्रतिशत लायसेंस शुल्क लिया जावेगा। कर्मचारी का आवास चाहे उसके कार्य स्थल पर हो अथवा अनयत्र कहीं हो, उसे पात्रतानुसार देय किराये का 75 प्रतिशत आवास किराया दिया जावेगा।

8.2 स्वंय के आवास में निवास करने पर किराये की गणना वास्तविक वर्गफीट अनुसार की जावेगी।

जैसे– पात्रता वर्गफीट की है और आवास 900 वर्गफीट है तो 900 वर्गफीट पर पात्रता का 75 प्रतिशत किराया देय होगा। यदि पात्रता 1000 वर्गफीट की है और आवास 1200 वर्गफीट है तो 1000 वर्गफीट अर्थात पात्रतानुसार देय होगा।

8.3 यदि निगमकर्मी स्वंय के आवास में निवास करते है और पात्रता का 75 प्रतिशत किराया नही लेते है तो प्रचलित नियमानुसार गृहभाड़ा भत्ता देय होगा।

8.4 निगमकर्मी का स्वंय का आवास होने की दशा में पात्रतानुसार देय किराये का 75 प्रतिशत आवास किराया दिया जावेगा एवं निर्धारित लायसेंस शुल्क लिया जावेगा। कर्मचारी का आवास चाहे उसके कार्य स्थान पर हो अथवा अन्य कही भी हो। मकान फ्लेट का ऋण समाप्त होने की दशा में प्रचलित दर से पात्रतानुसार किराया देय होगा। निगम की ओर से अन्य आवास आवंटित नही किया जावेगा।

9 आवास आवंटन

- डी.ओ.पी. के तहत् आवेदन पत्रों का निराकरण तत्काल किया जावेगा।

10 विशेषाधिकार

- उपरोक्त आवास नीति में समयानुसार संशोधन करने, पात्रता से अधिक का आवासगृह स्वीकृत करने तथा आवंटित आवास को निरस्त करने के अधिकार प्रबंध संचालाक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को होगें।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)